IV 57/18

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 101151

न्यास पत्र स्टाम्प कीमती 850 /-

न्यास विलेख–

यह न्यास–विलेख आज दिनांक–26.10.2018 को जिला अम्बेडकरनगर में श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र स्व0 रामदौर निवासी ग्राम बसिरहा पोस्ट रामपुर सकरवारी अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर, मोबाइल नं0 [illegible] द्वारा घोषित किया गया है जिसे न्यासीकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा, क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक रू0–5,000/– (पाँच हजार रुपये) की राशि से सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासीकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अद्वितीय सराहनीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक आध्यात्मिक, बौद्धिक एवं समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करेगा। इस ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा।

राजेन्द्र प्रसाद

मो0 नं0 9450992829

मो0 9919458527

PRINCIPAL

राजेन्द्र प्रसाद

प्रधानाचार्य

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

पढ़ने वाला

सुनने वाला

उप निबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 101152

न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतो से दान, उपहार, ऋण आदि प्राप्त करेगा, जिससे ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके । वर्तमान समय में ट्रस्ट के नाम कोई चल व अचल सम्पति नहीं है। उक्त ट्रस्ट से सम्बन्धित एक ट्रस्ट का पंजीकरण दिनांक 18.07.2017 को बही सं0 4 जिल्द सं0 38 पृ0सं0 297 से 336 पर क्रमांक 66 पर पंजीकृत है, जिसमें कुछ त्रुटि होने के कारण से पुनः पंजीकरण कराया जा रहा है।

वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत एवं प्रशासनिक कार्यालय पता ग्राम व पोस्ट रामपुर सकरवारी अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर, उ0प्र0 होगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय–समय पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा एवं शाखाएं भी खोली जा सकती है ।

न्यास कर्ता/ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारावद्ध घोषित किया जाता है–

"श्रीरामनाथ एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट" (इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

1–ट्रस्ट के उद्देश्य :–ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा–

1. बेरोजगार निर्धन एवं जरूरतमंद छात्र–छात्राओं को शैक्षिक प्रशिक्षण एवं सहायता देना तथा धर्मशालाओं का निर्माण/जीर्णोद्धार करना एवं धर्मशाला में धार्मिक आयोजन करना।

प्रबन्धक

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये   FIFTY RUPEES

रु.50   Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   BR 101153

2. इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा जिसमें पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कालेज, फार्मेसी, खेल तथा प्रबन्ध संस्थान खोलना एवं प्रबन्धन करना ।
3. औद्योगिक प्रशिक्षण आई0टी0आई0 संस्थान खोलना ।
4. विधि महाविद्यालय, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, पैरामेडिकल संस्थान, डेण्टल कालेज की स्थापना करना तथा उनके संचालन के अतिरिक्त दो अस्पताल का निर्माण करना तथा संचालित करना। निजी पारिवारिक मन्दिर का निर्माण करना तथा मन्दिर में आवश्यकतानुसार धार्मिक आयोजन करना।
5. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय (बी0एड0,बी0पी0एड0, बी0टी0सी0), पशु चिकित्सा महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, कृषि, महाविद्यालय वाणिज्य, संस्कृत तथा संगीत एवं नाट्य महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालित करना, सामाजिक एवं धार्मिक क्रिया–कलापों को बढ़ावा देना।
6. छात्र–छात्राओं हेतु अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम के प्राथमिक, जूनियर व इण्टर कालेज की स्थापना एवं यू0पी0, सी0बी0एस0सी0 एवं आई0सी0एस0सी0 बोर्ड की मान्यता लेना।
7. कौशल विकास योजना का संचालन व प्रशिक्षण देना ।
8. पुस्तकों, साहित्यिक पत्रों, समाचार पत्रों का (हिन्दी और अंग्रेजी) में सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण करना एवं न्यूज चैनलों को खोलना एवं प्रसारण करना।

राजेन्द्र प्रसाद   राजेन्द्र प्रसाद

Principal

प्रबन्धक

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

उप निबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये — FIFTY RUPEES

रु.50 — Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — BR 101154

9. सामूहिक विवाह का आयोजन एवं प्रोत्साहन करना। राष्ट्र भाषा हिन्दी का प्रचार प्रसार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फैशन शो, महोत्सव पेन्टिंग, ड्रामा, स्टेज शो, सत्सग, वाद–विवाद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, फिल्म शो, संगीत एवं नाटक के कार्यक्रम आयोजित करना।

10. व्यावसायिक संस्थान/प्रतिष्ठान व उद्योगों की स्थापना करना व पेट्रोल पम्प/गैस एजेन्सी की स्थापना करना।

11. राष्ट्रवादी कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना । हिन्दू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार–प्रसार करना तथा नये धर्मशालाओं एवं मंदिरों का निर्माण करना।

12. गो सेवा हेतु गायों के रहने के लिए गौशाला का निर्माण, गायों के चारे की व्यवस्था, गायों के रख–रखाव उसकी समुचित देखभाल करना।

13. [illegible] चिकित्सालयों नर्सिंग होम तथा मैटरनिटीहोम, आँख अस्पताल आदि को प्रारम्भ करना।

14. निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को पूर्णतया निःशुल्क अथवा आधे शुल्क पर चिकित्सा सुविधा देना ।

15. निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को न्यास द्वारा संचालित किसी चिकित्सालय से सहायता देना या अन्य किसी चिकित्सालय में भर्ती होने पर सहायता देना ।

16. ऐसे सभी कार्यों को करना जिसमें निर्धनों की चिकित्सा होती हो ।

17. भूमि व भवन खरीद कर हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, डिस्पेन्सरी, नर्सिंगहोम, मैटरनिटीहोम की स्थापना करना तथा इस कार्य हेतु संग्रह करना।

PRINCIPAL

Principal
R.P.R.N. Public School
Rampur Sakarwari Ambedkar Nagar

प्रबन्धक

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 101155

18. निःशुल्क नेत्र चिकित्सा सहायता शिविर एड्स जागरूकता शिविर, विकलांग शिविर, मद्यपान निषेध शिविर का आयोजन करना।
19. ट्रस्ट द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उसका संचालन एवं प्रबन्ध करना।
20. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्ध करना।
21. ट्रस्ट द्वारा गरीब और यतीम बच्चे–बच्चियों के लिए निःशुल्क तालीम की व्यवस्था करना एवं निःशुल्क पोषण एवं प्रशिक्षण देना।
22. ट्रस्ट द्वारा प्राथमिक एवं केन्द्रीय विद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्ध करना।
23. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के प्रति पूर्ण रुझान, लगन और उत्साह पैदाकर साक्षरता अभियान को सफल बनाने में सरकार का सहयोग करना।
24. ट्रस्ट द्वारा शैक्षिक नैतिक एवं सामाजिक स्तर के सुधार हेतु ज्ञानवर्धक पुस्तको का भण्डारण करना तथा उसके माध्यम से लोगो में जागृति का संचार करना।
25. ट्रस्ट द्वारा विद्यालय परिसर में युवक/युवतियों एवं बालक/बालिकाओं के लिए खेलकूद व्यायामशाला तथा मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
26. ट्रस्ट द्वारा प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं के समुचित शिक्षा व्यवस्था में भरपूर मदद करना ।
27. ट्रस्ट द्वारा लाइब्रेरी खोलने की व्यवस्था करना तथा उसका संचालन करना ।
28. ट्रस्ट द्वारा बालक/बालिकाओं का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना।

प्रबन्धक

Principal
R.P.R.N. Public School
Rampur Sakarwari Ambedkar Nagar

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु.50 | Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 101156

29. ट्रस्ट द्वारा ज्ञानवर्धन हितार्थ, पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।
30. ट्रस्ट द्वारा गरीबी अथवा अन्य कारण वश शिक्षा न प्राप्त करने अथवा बीच में ही छोड़ देने वाली महिलाओं बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम कन्डेन्स कोर्स चलाना।
31. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा, उच्च शिक्षा, [illegible] शिक्षा, कृषि शिक्षा आदि के संचालन हेतु भवन व प्रबन्धकीय व्यवस्था करना।
32. ट्रस्ट द्वारा श्रमिक वर्ग, खेतिहर वर्ग, निर्बल वर्ग, अल्पवर्ग, महिला वर्ग, अनुसूचित जाति/जन जाति आदिवासी, मलिन वर्ग एवं गरीब सभी जाति वर्ग के लोगों हेतु तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना तथा संचालन करना ।
33. ट्रस्ट द्वारा बालक एवं बालिकाओं को सफल बनाने के लिए टंकण, आशुलिपि कम्प्यूटर, शार्ट हैण्ड, फोटोकापी आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।
34. ट्रस्ट द्वारा वृद्ध असहाय तथा अक्षम महिलाओं एवं पुरुषों हेतु वृद्धाश्रम, संरक्षण गृह आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
35. ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास करना । नदियों, जलाशयों की सफाई [illegible] का सुधार, वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रम चलाना।

राजेन्द्र प्रसाद

राजेन्द्र प्रसाद

PRINCIPAL
ADITYA ... JAGDISHPUR (RAI) AMETHI

राजेन्द्र प्रसाद
प्रबंधक

प्राचार्य
केंद्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — BR 101157

36. [illegible] विकास के लिए कार्य करना कमजोर एवं निर्बल वर्गों को निःशुल्क आवास की व्यवस्था [illegible] भूमि सुधार कार्यक्रम चलाना और भूमि संरक्षण का प्रयास करना।
37. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को जागरूक बनाने हेतु जागरूकता शिविर लगाना । परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी दिलाना । शिशु पालन गृह का संचालन करना।
38. ट्रस्ट द्वारा समाजोत्थान हेतु संगोष्ठियों परिचर्चाओं आदि का आयोजन करना ।
39. ट्रस्ट द्वारा साम्प्रदायिकता के विनाश एवं राष्ट्रीय एकता अखण्डता एवं बन्धुत्व के प्रचार हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।
40. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता विकास अभियान चलाने हेतु तकनीकी व गैर तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा महिलाओं के लिए सरकारी सहायता के प्रति जागरूक करना तथा महिला/दलित महिला के श्रम का श्रमार्जन करना।
41. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के सहभागिता पर आधारित कार्यों को बढ़ावा देने तथा महिला सशक्तीकरण हेतु तकनीकी शिक्षा पौष्टिक आहार पोषण शुद्ध खाद्य पदार्थों का उपयोग स्वास्थ्य उत्थान महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं का क्रियान्वयन/कार्यान्वयन व संचालन करना।

प्रबन्धक

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 101158

42. ट्रस्ट द्वारा विकलांगों मूक बधिरों नेत्रहीनों मंद बुद्धि मानसिक रोगियों व कुष्ठ रोगियों के कल्याण हेतु सामाजिक शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा व समान अवसर अधिकार संरक्षण व पूर्ण भागीदारी पर जोर देना ताकि शिक्षा तकनीकी, शिक्षा रोजगारपरक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान व मानवशक्ति विकास स्वच्छ शान्ति वातावरण सुरक्षा का दायित्व प्रदान करना। जिससे ये लोग समाज में प्रतिस्थापित हो और स्वावलम्बी बन सकें । जैसे कार्य करना।

43. ट्रस्ट द्वारा हस्तकरघा, पापड़ उद्योग, नमकीन, खाद्य तेलघानी, हस्तशिल्प, शिल्पकला, मूर्तिकला, पेन्टिंग, हस्तकला, हस्तकागज वस्त्र उद्योग, चिकन होजरी, सिलाई, कढ़ाई, जूट सामग्री, रेडीमेड, गॉरमेन्ट्स, सब्जी मसाला, पैकिंग, चर्मकला उद्योग, मूर्तिकला, चित्रकला, काष्ठकला, हाथ कागज, लिफाफा, फाइबर गिलास मसरूम कल्टीवेशन, रेशम उत्पादन व तकनीकी प्रशिक्षण, नवीन कृषि प्रशिक्षण, खनिज सम्पदा, औषधीय सम्पदा, पौधा रोपण, नर्सरी वनीकरण, वृक्ष संरक्षण, खादी, कताई, कम्प्यूटर, शार्टहैण्ड, टाइपिंग, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रानिक्स, उद्योग आदि की उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना एवं उक्त व्यवसाय में लगे लोगों का उत्थान करना।

44. ट्रस्ट द्वारा जड़ी बूटी व औषधीय पौधों का प्रचार–प्रसार व संचालन एवं औषधीय पौधों के बारे में उपलब्धता और जागरूकता को बढ़ावा तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान "शिक्षा" प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करना।

राजेन्द्र प्रसाद

राजेन्द्र प्रसाद

PRINCIPAL
ADITYA BIRLA PUBLIC SCHOOL
JAGDISHPUR
AMETHI

राजेन्द्र प्रसाद
प्रबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 101159

45. ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण गंदी बस्तियों के प्रजजन व शिशुओं के लिए स्वास्थ्य मातृत्व जागरूकता तथा पौष्टिकतायुक्त खाद्य पोषण दवा व उपचार की उपलब्धता, व्यवस्था का प्रबन्ध कराना।

46. जनसंख्या वृद्धि परिवार कल्याण नियोजन, लिंग भेद, भ्रूण हत्या का निरोधन स्थिर रखने हेतु आवश्यक प्रचार--प्रसार व्यापक अभियान स्वास्थ्य परिचर्या का आयोजन करना तथा समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सूचना शिक्षा तथा संप्रेषण के माध्यम से सुदूर ग्रामों तक परिवार कल्याण कार्यक्रमों को पहुँचाने का कार्य करना एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना।

47. एच0आई0वी0/एड्स को नियंत्रित करना तथा यौन संचारित संक्रमणीय रोगों का उपचार करना और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच अधिक से अधिक एकीकरण को बढ़ावा देने का कार्य करना, पल्स पोलियो अभियान का कार्य करना।

48. ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण मलिन बस्तियों, जंगल वासियों, आदिवासियों व अति कमजोर विस्थापित व अप्रवासी/प्रवासी गरीबों व निःसहायों को आवास पोषण, पौष्टिक आहार आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराना व निर्माण संचालन प्रबन्धन सेवा परामर्श आदि कार्य करना।

PRINCIPAL

ADITYA BIRLA PUBLIC SCHOOL

प्रबन्धक

प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय

फैजाबाद

पढ़ने वाला

सुनने वाला

उप निबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BR 101160

49. ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत कुपोषण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान/पौष्टिकता सम्बन्धी जानकारी पूरक पोषण को बढ़ावा कम मूल्य के पोषण/पौष्टिक आहारों का प्रयोग किशोरियों/शिशुओं को पोषण/पौष्टिकता सम्बन्धी देखभाल पर विशेष बल एवं अनुश्रवण की व्यवस्था संचालन तथा प्रचार–प्रसार करना।

50. पर्यावरण एवं परिस्थितियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संसाधनों का उपयोग करना एवं भौतिक कारकों में सामन्जस्य स्थापित करना ।

51. ट्रस्ट द्वारा कृषि का विविधकरण उन्नति पद्धतियों के द्वारा उत्पादन को बढ़ाना, भूमि संरक्षण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जलसंरक्षण जलसंचय तथा नमी संरक्षण का ज्ञान व प्रचार–प्रसार करना।

52. ट्रस्ट द्वारा सतत् ग्रामीण विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सरल बनाना । स्वैच्छिक कार्य सम्बन्धी राष्ट्रीय आँकड़ा संग्रहण के रूप में कार्य करना उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रचार–प्रसार के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना।

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु.50 | Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BR 101161

53. ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्ग के लोगों की सहभागिता और सांस्कृतिक कार्य को बढ़ावा देना राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा प्राप्त परियोजनाओं का संचालन व नेटवर्किंग करना तथा ग्रामीण स्वच्छता स्वच्छ पेयजल परियोजनाओं के कार्यक्रमों को संचालित करना।

54. ट्रस्ट द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना तथा वायु प्रदूषण जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, का निस्तारण कर दिशा–निर्देशन एवं प्रचार–प्रसार एवं रोकथाम करना। प्रदूषण रहित परियोजनाओं की व्यवस्था निर्माण एवं संचालन करना बाढ़/भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों/लोगों की मदद करना।

55. ट्रस्ट द्वारा सरकारी/अर्द्ध सरकारी/व्यक्तिगत देशी/विदेशी परियोजनाओं का निर्माण संचालन सर्वेक्षण अन्वेषण उपस्कर भूमिगत निर्माण अनुसंधान विकास कार्यान्वयन क्रियान्वयन अनुश्रवण आदि का कार्य करना।

56. ट्रस्ट द्वारा बच्चों के अधिकार संरक्षण के उपाय के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व प्रबन्धन करना जिसमें प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण स्वच्छ वातावरण आवास व्यवस्था तथा शान्ती वातावरण एवं सुरक्षा का दायित्व प्रदान करने का सुदूर ग्रामांचलों तक व्यवस्था करना।

प्रबन्धक

PRINCIPAL
ADITYA BIRLA PUBLIC SCHOOL

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 101162

57. ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्ग के सजायाफ्ता कैदियों/आजीवन कारावास के कैदियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने व समाज में पुर्नस्थापना व स्वावलम्बी बनाने हेतु सभी प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी प्रशिक्षण स्वास्थ्य सुविधा व पुनर्वास के कार्यक्रमों का संचालन व व्यवस्था करना ।

58. ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी कार्यों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का एवं संस्था अपने द्वारा जारी सभी कार्यों/परियोजनाओं के प्रबन्धन, कार्यान्वयन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन शोध, सांख्यिकी, रिकार्ड, सर्वे के कार्यों का संचालन व मार्गदर्शक के रूप में सम्पन्न कराना तथा कार्यशाला विचार गोष्ठी का आयोजन व संचालन करना अनुभवी प्रशिक्षकों व वैज्ञानिकों के सहयोग को उपलब्ध कराना।

59. ट्रस्ट द्वारा मानव कल्याण हेतु शिक्षा, पोषण, आवास, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे आधारभूत आवश्यकताओं का सृजन संरक्षण तथा उनके प्रति जागरूकता हेतु सभी संसाधनों का उपयोग करना।

60. ट्रस्ट द्वारा समाज में फैली कुरीतियों, रूढ़िवादी विचारों, अन्धविश्वासों को समाप्त करने हेतु प्रचार–प्रसार का आयोजन करना।

PRINCIPAL
ADITYA B... PUBLIC SCHOOL

प्रबन्धक

Principal
... Public School

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BR 101163

61. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण व शहरी पेयजल तथा पर्यावरणीय स्वच्छता के क्षेत्र को उपयुक्त रीति से निर्धारण में सहायता करना तथा पेयजल श्रोत, स्वच्छता एवं जलसंरक्षण के संचालन हेतु बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन आदि का निर्माण एवं रख रखाव व प्रबन्धन करना।

62. ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी अर्द्ध सरकारी विभागों व्यक्ति/व्यक्तियों स्वयं सेवी संगठनों से परियोजना सम्बन्धी सहयोग व परामर्श प्राप्त करने का कार्य तथा संचालन व प्रबन्धन करना तथा नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यान्वयन क्रियान्वयन अनुश्रवण व संचालन का कार्य करना।

63. ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क प्रौढ़ आँगनवाड़ी सेवा जन शिक्षण केन्द्र, सहभागी शिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।

64. समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग महिला, समाज नेडा, शिफसा, यूनेस्को, यू०एन०डी०पी०, कपार्ट, यूनिसेफ, सिडवी, अवार्ड, नाबार्ड, मानव विकास मंत्रालय, वर्मीविभाग, विकलांग एवं कुष्ठ विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विभाग, ट्राइसेम, सूडा, डूडा, जलनिगम, जल संसाधन, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग से सभी प्रकार की परियोजनाओं/कार्यक्रमों को प्राप्त करना।

प्रबन्धक

ADITYA ... SCHOOL

प्राचार्य

पढ़ने वाला

सुनने वाला

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये — FIFTY RUPEES

रु.50 — Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 101164

65. ट्रस्ट द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु उनके अधिकारों का जन–जन तक ज्ञान पहुँचाने हेतु उनके कार्यक्रमो का प्रचार–प्रसार करना।

66. गांवो में किसानों, मजदूरों, शिक्षित बेरोजगार, नवयुवकों व महिलाओं को मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन तथा पशुपालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार सम्बन्धी समस्त उपकरणों को बनाना तथा बनाने की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना एवं मत्स्य पालन के विकास के लिए तकनीकी शोध करना।

67. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित समस्त ग्राम उद्योगों की स्थापना करना।

68. ट्रस्ट द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु किसानों की सुविधा के लिए भण्डार गृह आदि की सुविधा उपलब्ध कराना व उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।

69. विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

70. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

71. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

Principal

ADITYA BIRLA PUBLIC SCHOOL

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BR 101165

71. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
72. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनीय जोगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
73. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
74. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

कार्यक्षेत्र–

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा तथा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है, किन्तु ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय भारत में ही होगा।

2–ट्रस्ट के धन का विनियोग–

1– ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर विधान 80G की धाराओं एवं अन्य सम्बन्धित प्रावधानों के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।

2– उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना एवं व्यय करना, सहायता लेना व देना, ब्याज रहित व ब्याज सहित धन लेना व देना, चल–अचल का सम्पत्ति क्रय–विक्रय करना, निर्माण करना, रेहन रखना, लीज पर देना व लेना, बैंक व्यवहार करना एवं जो भी आवश्यक कार्य हो उन्हें करना।

PRINCIPAL
ADITYA BIRLA PUBLIC SCHOOL
AMETHI-227817

प्रबन्धक

Principal
R.P.R.N. Public School

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

68AD 421731

3– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश–विदेश से दान व ऋण, पथ्य किराये पर या अन्य किसी प्रकार से भूखण्ड या कोई चल या अचल सम्पति प्राप्त करना।

4– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की किसी भी चल या अचल सम्पति का क्रय–विक्रय, प्रबन्ध हस्तान्तरण, विनियम, बंधक, दृष्टि बंधक पट्टे, गिरवी या किसी भी भाँति से उपयोग में लाना।

5– अपने समस्त कार्यो हेतु ट्रस्ट के धन का विनियोग करना जो ट्रस्ट एवं ट्रस्ट के उद्देश्यो के हित मे हो, अर्थात लाभकारी हो ।

6– ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार एव राज्य सरकार के मंत्रालय एवं विभागों से अनुदान प्राप्त करने जैसे शिक्षा विभाग, उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त आयोग समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से अथवा सरकारी एव गैर सरकारी संस्थाओं आदि से सहायता, दान, अनुदान प्राप्त करना। अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी के उत्थान हेतु भूमि का क्रय विक्रय करने का अधिकार होगा।

7– यह ट्रस्ट व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है ।

3– ट्रस्ट मण्डल

1– ट्रस्ट का एक स्थायी मण्डल होगा, जिसमें आजीवन नामित सदस्य ट्रस्टीज होंगे। सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 (सात) होगी । इन्हें बढ़ाया जा सकता है ।

प्रबन्धक

Principal
R.P.R.N. Public School
Rampur Sakarwari Ambedkar Nagar

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 68AD 421729

2– ट्रस्ट में नामित सदस्यो की नियुक्ति भी आवश्यकतानुसार की जा सकती है।

3– ट्रस्ट के पदाधिकारियो/सदस्यों का कार्यकाल आजीवन होगा और उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता जिससे वो कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सकें, से ग्रसित होने पर उनका प्रथम कानूनी उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी के परिवार का योग्य सदस्य ही मैनेजिंग ट्रस्टी के स्थान पर नियुक्त होगे।

4– ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु किसी सरकारी/गैर सरकारी मामलों में अथवा किसी वित्तीय संस्था या बैंक से ऋण लेने की दशा मे मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के हस्ताक्षर द्वारा समस्त दस्तावेजों का निष्पादन किया जायेगा।

5– ट्रस्ट के स्थायी, अस्थायी एवं नामित सदस्यो की नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के निर्णय से की जायेगी ।

6– किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति मे मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर द्वारा निर्णय ही मान्य होगा।

7– ट्रस्ट मण्डल के द्वारा लिये गये सभी निर्णयो एवं कार्यों का क्रियान्वयन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की सहमति के बाद ही मान्य होगा।

8– ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की अनुमति से ट्रस्ट मण्डल विभिन्न समूहों (यूनिटों) का गठन कर सकेगा।

9– ट्रस्ट मण्डल मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के अनुमोदन से ट्रस्ट के कार्यों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु नियमावली बना सकता है एवं उसे जारी कर सकता है।

4– ट्रस्ट मण्डल (जनरल बाडी) के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– पूर्व मीटिंग की कार्यवाही की स्वीकृति देना।

2– मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर द्वारा रखी गयी वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करके उसे पास करना।

3– आगामी वर्ष के बजट पर चर्चा करके उसे पास करना।

4– ट्रस्ट की नियमावली मे मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर द्वारा किये गये संशोधन की ट्रस्ट के हित मे मंजूरी देना ।

PRINCIPAL
ADITYA ... PUBLIC SCHOOL
AMETHI-227817

प्रबन्धक

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

68AD 421733

5– किसी ऐसे मामले के बारे में कार्यवाही करना जिसे कार्यवाही हेतु मीटिंग में पेश किया हो ।

6– किसी विशेष आवश्यकता के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की सहमति से सब कमेटी बनाना।

5– **ट्रस्ट की सदस्यता :–**

हर वह स्त्री अथवा पुरूष जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो एवं किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो, पागल अथवा दिवालिया न घोषित हो, वह आजीवन सदस्यता शुल्क 5000/–रूपया व वार्षिक सदस्यता शुल्क 1000/–रूपया अदा करेगा तब वह मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के अनुमोदन से ट्रस्ट का सदस्य बनाया जा सकता है । सदस्यता शुल्क ट्रस्ट डीड के रजिस्टर्ड होने के उपरान्त ही प्रभावी होगा।

ट्रस्टीज के प्रकार–

1– **आजीवन सदस्य :–** जो सदस्य सूची में संख्या 1 से 7 तक दर्ज है वे स्थायी सदस्य कहलायेंगे और उनका कार्यकाल आजीवन होगा।

2– **वार्षिक सदस्य–** जो व्यक्ति ट्रस्ट को प्रत्येक वर्ष नियमानुसार शुल्क 1000/–रूपया अदा करेगा तब उसे मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के अनुमोदन से ट्रस्ट का सदस्य बनाने की मंजूरी दी जायेगी। वह ट्रस्ट का वार्षिक सदस्य कहलायेगा और उसका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का होगा । उसकी पुनः नियुक्ति भी सम्भव होगी, परन्तु उसकी भूमिका मात्र परामर्श देने की होगी ।

6– **बैठक :–** ट्रस्टीज बोर्ड की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी, जो 24 घण्टे की पूर्व सूचना के द्वारा बुलायी जा सकती है अथवा आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है ।

7– **बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टीज :–**

ट्रस्ट मण्डल के अन्तर्गत कार्य करने वाला समूह बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टीज कहलायेगा। जिसमे मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर भी सम्मिलित है ।

8– **बैठक :–** बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टीज की सामान्य बैठक कभी भी तीन दिवस की लिखित सूचना पर एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व लिखित सूचना पर बुलाई जा सकती है।

मैनेजिंग ट्रस्टी पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण–

1– मैनेजिंग ट्रस्टी का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल मे अपने उत्तराधिकारियों मैनेजिंग ट्रस्टी की व्यवस्था कर दे।

प्रबन्धक

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये ₹.10 | TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

68AD 421734

2- मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में मैनेजिंग ट्रस्टी का पद किसी को प्रदान कर सकता है।

3- किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, जो इस ट्रस्टडीड के मैनेजिंग ट्रस्टी को प्रदत्त किये गये हैं।

4- मैनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में मैनेजिंग ट्रस्टी [illegible] उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

5- मैनेजिंग ट्रस्टी को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी को लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार करके निर्णय को बदल सकता है।

7- कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी तभी तक अपने उत्तराधिकार हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनर्विचार करने हेतु स्वतन्त्र है, जब तक कि वह वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को प्रदान न कर दे।

8- कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तानान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

9- आज इस न्यास पत्र के माध्यम से किसी चल व अचल सम्पत्ति का आयतन न्यास को नहीं किया जा रहा है।

PRINCIPAL
ADITYA BIRLA PUBLIC SCHOOL
JAGDISHPUR
AMETHI

प्रबन्धक
आर०पी०आर०...
...जगदीशपुर...

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैण्ट

Principal

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये | TEN RUPEES

रु.10 | Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

68AD 421735

10– ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य :–
1– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्य करना ।
2– ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना/करवाना।
3– ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर वो कार्य करना जिससे ट्रस्ट का लाभ हो ।

11– ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य:–

मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर

1– ट्रस्ट में मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना तथा ट्रस्ट के हितार्थ समस्त चल व अचल सम्पत्ति का अपने हस्ताक्षर से क्रय विक्रय करना तथा बैंक में खाता खोलना तथा खाते का संचालन अपने हस्ताक्षर से करना, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष/संस्थापक/प्रबन्धक चल अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय ट्रस्ट मण्डल के सहमति पर ही करेगा तथा विक्रय विलेख/क्रय विलेख अपने हस्ताक्षर से निष्पादित करेगा।
2– बिल एवं वाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
3– कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवामुक्ति करना।
4– ट्रस्ट के विविध मामलों में निर्णय लेना।
5– ट्रस्ट का कार्यालयी लेखा देखना;
6– पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
7– ट्रस्ट के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
8– ट्रस्ट के बैठकों की सूचना ट्रस्ट के सदस्यों को देना।
9– समस्त निदेशकों, सदस्यों को लाभ प्रदान करना, वेतन देना, वेतन में वृद्धि एवं कटौती करना अथवा उन लोगों द्वारा लिए गये ऐसे निर्णय जो ट्रस्ट अथवा उसके लिए अहितकारी या अलाभकारी हो, उनके क्रियान्वयन पर रोक लगाना ।
10– समस्त, सदस्यों, कर्मचारियों को दायित्व सौंपना, उनके कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों में परिवर्तन, परिवर्धन करना ।

PRINCIPAL
ADITYA BIRLA ... SCHOOL
JAGDISHPUR (UA)
AMETHI-227817

Principal
... Public School
...mbedkar Nagar

राजेन्द्र प्रसाद

राजेन्द्र प्रसाद

राजेन्द्र प्रसाद

प्रबन्धक
आर०पी०आर०एस० ...
रामपुर सकरवारी-अम्बेडकर नगर

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 | TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11- ट्रस्ट से जुड़ी प्रत्येक कमेटियों/यूनिटों (जिसमें प्रत्येक प्रकार की कमेटियाँ/यूनिटें सम्मिलित हैं)।

12- ट्रस्ट के हितों के विरूद्ध कार्य करने पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना अथवा ऐसा करने की संस्तुति देना।

13- सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाना।

14- प्रशासकीय कार्यों के दायित्वों का निर्वहन करना।

15- ट्रस्ट के सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना।

16- बैंक खाते का संचालन एकल हस्ताक्षर से करना।

17- ट्रस्ट के विकास हेतु दान-अनुदान चंदा, सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा उसकी यथाविधि रसीद देना।

18- पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना तथा ट्रस्ट के आय-व्यय की जिम्मेदारी राजेन्द्र प्रसाद व रमापति व रामनाथ की बराबर होगी।

19- चल एवं अचल सम्पत्ति की देख-रेख व सुरक्षा करना।

20- चल-अचल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय करने का अधिकार आदि।

अध्यक्ष-1- सभी प्रकार के बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।

3- बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तित करना।

4- ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार करना।

राजेन्द्र प्रसाद

PRINCIPAL
ADITYA BIRLA PUBLIC SCHOOL
JAGDISHPUR
AMETHI-227817

Principal
Public School
Ambedkar Nagar

प्रधानाचार्य

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

66AD 421737

उपाध्यक्ष— अध्यक्ष के न रहने पर बैठक की अध्यक्षता करेगा और सहयोग प्रदान करेगा।

सचिव :— 1— समस्त संस्थाओं/एजेंसियों/विभाग/मंत्रालय से सम्बंधित समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।

2— ट्रस्ट के बैठकों की सूचना प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों को देना।

3— बैठक का एजेण्डा तैयार करना।

कोषाध्यक्ष :— 1— संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा रखना।

2— मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

3— संस्था की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।

4— बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षर से करना।

12— **ट्रस्ट का कोष** :— ट्रस्ट कोष किसी भी डाकघर व राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका आहरण ट्रस्टी/मैनेजर के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

PRINCIPAL
ADITYA BIRLA PUBLIC SCHOOL
JAGDISHPUR (RA)
AMETHI-227817

प्रबन्धक
आर०पी०आर०एन० पब्लिक स्कूल
रामपुर सकरवारी-अम्बेडकर नगर

Principal
R.P.R.N. Public School
Rampur Sakarwari Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

68AD 421738

13- ट्रस्ट की आय-व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट-ट्रस्ट के आय-व्यय का परीक्षण/आडिट किसी योग्य आडिटर द्वारा वर्ष में एक बार कराया जायेगा, जिसकी नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के निर्णय से होगी। हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

14- ट्रस्ट के नियमों/विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया :-

ट्रस्ट के नियमों विनियमों में संशोधन की यदि आवश्यकता समझी जाती है तो ऐसे नियमों/विनियमों में संशोधन की सहमति बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टीज की बैठक में बहुमत से की जा सकेगी और ऐसे संशोधन को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पुनः ट्रस्ट डीड देकर पंजीकृत कराया जायेगा।

15- ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व-

ट्रस्ट द्वारा होने वाले समस्त कानूनी कार्यवाही की पैरवी मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा की जायेगी तथा इस बाबत से सम्बन्धित सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर ही होगा।

16- दायित्व -ट्रस्ट की प्रदत्त कार्यों की उत्तरदायी उनकी उपयोगिता एवं सुरक्षा का दायित्व सभी सदस्यों का सामूहिक एवं पृथक-पृथक रूप से होगा और आवश्यकता पड़ने पर बाहरी दायित्व के लिए सदस्य अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति जमानत में देंगे तथा वह दायित्व ऋण अदायगी तक बना रहेगा।

प्रबन्धक

Principal
R.P.R.N. Public School
Rampur Sekarwari Ambedkar Nagar

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

[illegible]

प्रतिफल- 2000 स्टाम्प शुल्क- 100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 620

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव,
पुत्र श्री स्व० रामधीर
व्यवसाय : कृषि
निवासी: बकिरहा रामपुर फतनपारी अकबरपुर अम्बेडकरनगर।

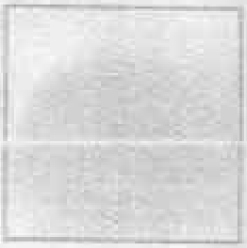

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 27/10/2018 एवं 12:35:27 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश चन्द्र यादव
उप निबंधक :सदर
अम्बेडकर नगर
27/10/2018

अखिलेश कुमार त्रिपाठी
कनिष्ठ सहायक (निबंधन)- [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

68AD 421739

17— **ट्रस्ट का विघटन** — ट्रस्ट के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इस आधार पर होगी कि यदि ट्रस्ट मण्डल के मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की सहमति से ऋण की अदायगी व बकाये कर्ज का निस्तारण करके सभी पदाधिकारियों की सहमति से की जायेगी। ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद तथा जिनको इस ट्रस्ट में कार्यभार सौंपा गया है।

क्र0 सं0	नाम पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र स्व0 रामवीर यादव	मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर	ग्राम–बलिरहा, पोस्ट–रामपुर सकरवारी अकबरपुर, अम्बेडकरनगर	समाज सेवा
2	श्री रजीत पुत्र श्री रमाशंकर	अध्यक्ष	ग्राम–बलिरहा, पोस्ट–रामपुर सकरवारी अकबरपुर, अम्बेडकरनगर	समाज सेवा
3	श्री नरेन्द्र बहादुर पुत्र श्री रामनाथ	उपाध्यक्ष	ग्राम–बलिरहा, पोस्ट–रामपुर सकरवारी अकबरपुर, अम्बेडकरनगर	समाज सेवा
4	श्री अरविन्द यादव पुत्र स्व0 रामवीर यादव	कोषाध्यक्ष	ग्राम–बलिरहा, पोस्ट–रामपुर सकरवारी अकबरपुर, अम्बेडकरनगर	समाज सेवा

PRINCIPAL
[illegible] SCHOOL
AMETHI

प्रबन्धक
आर0पी0आर0एम0 पब्लिक स्कूल
[illegible]

[illegible] Public School

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

पहले पक्ष
दूसरे पक्ष
उप निबन्धक

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि व प्रलेखानुसार उक्त
ग्यासी ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक, पुत्र श्री स्व० रामदौर राजेन्द्र प्रसाद

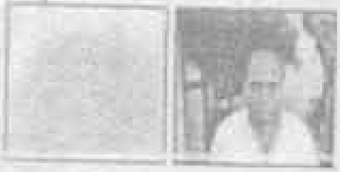

निवासी: बभियार रामपुर शकरवारी अकबरपुर अम्बेडकरनगर

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री रामकांत पाठक, पुत्र श्री जगमोहन

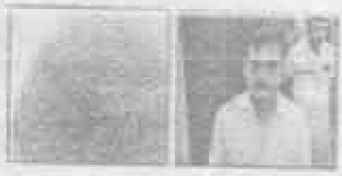

निवासी: हरिरामपुर अकबरपुर अम्बेडकरनगर

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री हनुमान प्रसाद , पुत्र श्री रामनरेश

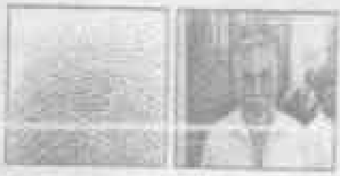

निवासी: दशपुर अकबरपुर अम्बेडकरनगर

व्यवसाय: कृषि

हनुमान प्रसाद

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी:

उप निबंधक : सदर
अम्बेडकर नगर

अखिलेश कुमार निर्मलिक
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये | TEN RUPEES

रु.10 | Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

68AD 421740

–(2)–

5	श्री अजीत पुत्र श्री दयाशंकर	सचिव	ग्राम–बसिरहा, पोस्ट–रामपुर सकरवारी अकबरपुर, अम्बेडकरनगर	समाज सेवा
6	श्री वीरेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रमापति	सदस्य	ग्राम–बसिरहा, पोस्ट–रामपुर सकरवारी अकबरपुर, अम्बेडकरनगर	समाज सेवा
7	श्री अरुण पुत्र श्री दयाशंकर	सदस्य	ग्राम–बसिरहा, पोस्ट–रामपुर सकरवारी अकबरपुर, अम्बेडकरनगर	समाज सेवा

1–हस्ताक्षर गवाहान [signature] 2– हस्ताक्षर गवाहान [signature]

मसविदाकर्ता– सतीश कुमार श्रीवास्तव अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

[signature] 26/10/18

[illegible]

स्थान– [illegible] दिनांक–26 अक्टूबर, 2018

अकबरपुर, [illegible]

[signature] [signature]

Principal
ADITYA BIRLA ... SCHOOL
... (RA)
AMETHI ...

[signature]
प्रबन्धक
[illegible]

Principal
... School
... Ambedkar Nagar

[signature]
प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
फैजाबाद कैन्ट

बही संख्या [illegible] जिल्द संख्या 44 के पृष्ठ 383 से 434 तक क्रमांक 57 पर दिनाँक 27/10/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश चन्द्र यादव
उप निबंधक : सदर
अंबेडकर नगर
27/10/2018

प्रिंट करें